झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–09

एकादश (बजट) सत्र
बुधवार, दिनांकः–15 मार्च, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 04:15 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–08

(क) उत्तरित कुल–01	अ०सू०–09,	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	स०वि०स०	(01.03.2023 से स्थगित)
(ख) स्थगित कुल–01	अ०सू०–15,	श्री सरयू राय,	स०वि०स०	(01.03.2023 से स्थगित)
(ग) अनागत कुल–08	क्रम संख्या–157 से 164 तक।			

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–82

(घ) अनागत कुल–82	क्रम संख्या–319 से 400 तक।

2. सूचना

1. माननीय सदस्य श्री भानू प्रताप शाही ने आसन से आग्रह किया कि विगत् चार दिनों से नियोजन नीति पर गतिरोध लगातार जारी है। पूर्व में एक दिन का सत्र हुआ था, जिसमें सदन से पारित कर भेजा गया था। हमलोगों की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट से पारित नियोजन नीति के सम्बन्ध में सदन को अवगत करावें।
2. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा PESA कानून के तहत मुखिया, जिला परिषद् अध्यक्ष आदि के एकल पद पर आरक्षण का मामला सदन में लाया गया।
3. माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो ने भी नियोजन नीति पर जारी गतिरोध को समाप्त कराने हेतु विपक्ष के मांगों पर सदन में माननीय मुख्यमंत्री से वक्तव्य दिलाने का आग्रह आसन से किया। 1932, 60:40 के सम्बन्ध में सदन में स्थिति स्पष्ट हो।

संशोधनः– दिनांक–15.03.2023 को कार्यसूची में संलग्न दिनांक–14.03.2023 की दैनिक विवरणिका के पृष्ठ–3 पर कंडिका–8 के पारा–4 में अंकित माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह के स्थान पर माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी पढ़ा जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नई नियोजन नीति के विरूद्ध वेल में लगातार शोरगुल व प्रदर्शन जारी रखने के कारण 11:33 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 12:30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी।)

स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने 12:30 अप0 में आसन ग्रहण किया।

3.शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

4.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने राज्य में लागू खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े बीस लाख लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने संबंधी दिये गये कार्यस्थगन की प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा नियमानुकूल नहीं होने के कारण इन्हें अमान्य कर दिया गया।

→

सूचनाः– माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा द्वारा आसन से आग्रह किया गया कि नई नियोजन नीति के विषय पर लगातार गतिरोध जारी है, जिसपर माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में अपना वक्तव्य दिलाया जाय।

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् हैः–

i. श्री अमित कुमाद यादव, स0वि0स0 (प्राधिकृत माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो) द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

ii. डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

iii. श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना अपृष्ठ।

iv. श्री रामदास सोरेन, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. आसन से पुकारे जाने पर संसदीय कार्य के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम, (1948 का अधिनियम–xiv) के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष–2021–22 एवं 2022–23 का वार्षिक बजट तथा वित्तीय वर्ष–2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखा गया।
2. आसन से पुकारे जाने पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 की कंडिका–20(1) के तहत झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली–2022 की प्रति सभा पटल पर रखा गया।

7. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री उमाशंकर अकेला द्वारा निवेदन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

8. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा ग्रामीण विकास विभाग (मांग संख्या–42) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 81,65,68,91,000/–(इक्यासी अरब, पैंसठ करोड़, अड़सठ लाख, इक्यानबे हजार) रूपये से अनधिक राशि की मांग सभा में प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा द्वारा इस मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नई नियोजन नीति के विरूद्ध वेल में लगातार शोरगुल व प्रदर्शन जारी रखने के कारण 12:54 बजे अप0 में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

सूचनाः– 1. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने व्यवस्था के प्रश्न पर आसन से आग्रह किया कि स्लोगनयुक्त परिधान के साथ सदन में आना और भाषण देना नियम विरूद्ध है। विपक्षी सदस्यों के द्वारा सदन के अंदर अव्यवस्था का माहौल बनाया गया है। कृपया इसे रोका जाय। यह विधायी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है।

2. माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा ने सूचना दिया कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी योजना चलायी जा रही है। धनबाद जिलांतर्गत 91 गरीब व्यक्तियों के ईलाज हेतु 5–5 लाख रूपये मंजूर किया गया था, जो अब तक उन्हें नहीं मिला है, जिसे यथाशीघ्र दिलाया जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नई नियोजन नीति के विरूद्ध वेल में लगातार शोरगुल व प्रदर्शन जारी रखने के कारण 02:24 बजे अप0 में सदन की कार्यवाही 03:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी।)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

सभा की कार्यवाही आरम्भ होते ही पक्ष–विपक्ष के माननीय सदस्यगण एक–दूसरे पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप–प्रत्यारोप करने लगे। इसी क्रम में आसन से सदन को अवगत कराया कि विधायिका–लोकाचार एवं संसदीय परम्परा से चलती है, स्लोगनयुक्त टी–शर्ट सदन के बाहर उतारकर अपने स्थान पर आने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यों के लिए परिपाटियों और शिष्टाचार के नियमों के अनुकूल सदस्यों को निम्नलिखित कार्य करने की मनाही है:–

1. अपना कोट बांह पर लटका कर सभा में प्रवेश करना।
2. सभा में अपना हैट डेस्क पर रखना।
3. छड़ी लेकर सभा–भवन में आना जब तक कि अध्यक्ष ने बुढ़ापे और शारीरिक शैथिल्य के कारण विशेष परिस्थितियों में उसकी अनुमति न दी हो।
4. सभा में धूम्रपान करना।
5. सभा में जय हिन्द या 'वन्देमातरम्' या इस प्रकार की और कोई बात कहना।
6. सभा में नारे लगाना।
7. सभा में अपने स्थान पर झण्डा या कोई प्रतीक लगाना।
8. सभा में टेपरिकार्डर लाना या उसे बजाना।
9. गैंगवे (सीटों के बीच के रास्ते) में खड़े होना और दूसरे सदस्यों से बातें करना।
10. सभा में वाद–विवाद के दौरान कोई चीज दिखाना या प्रदर्शित करना।
11. अध्यक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर संसद भवन परिसर में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली अथवा पुस्तिका इत्यादि का वितरण करना, जो सभा के कार्य से संबंधित न हों।

9. <u>वित्तीय कार्य (क्रमांक–8 से जारी)</u>

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निदेश से सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदान की मांगों, ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या–42 पर सभा में वक्तव्य दिया, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(चर्चा के क्रम में विपक्षी सदस्यों का 03:53 अप० में सदन से बहिर्गमन)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–16 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रॉंची,
दिनांक–15 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।